न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 74/2020 (2020/00280)

बद्रीलाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम जसवन्तपुरा तहसील सावर जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1- मंजू देवी उम्र 42 साल पत्नि नारायण
2- रसाली उम्र 38 साल पत्नि भागचन्द
3- गोमा उम्र 32 साल पत्नि सत्यनारायण
4- छोटू उम्र 30 साल पुत्र रामकरण
5- मोतिया उम्र 53 साल पत्नि रामकरण
6- सीता उम्र 44 साल पुत्री रामकरण
7- सीमा उम्र 28 साल पुत्री रामकरण
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण जसवन्तपुरा ,तहसील सावर जिला अजमेर(राज.)
8- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. बद्रीलाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर— प्रार्थी
2. छोटू पुत्र रामकरण जाति गुर्जर – अप्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक 14.10.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प घटियाली केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जसवन्तपुरा की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता स. नया पुराना 106–101 खसरा नम्बर 339 रकबा 0.37 प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जेकाश्त की आराजीयात . में आने जाने हेतु कोई रास्ता विद्यमान नहीं है सरकारी रास्ते से होते हुये अप्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 315 रकबा 0.34 है. किस्म चाही व खसरा नम्बर 316 रकबा 0.21 है. किस्म चाही होकर आता जाता है। अतः प्रार्थी को रास्ता दिलाया जावें। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को उनकी खातेदारी में है। दिनांक 27.08.2020 को जे.सी.बी.मशीन चलाकर बन्द कर दिया है। जिसे प्रार्थी को उपरोक्त खातेदारी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता बन्द हो गया है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने का बैलगाडी , ट्रेक्टर ट्रॉली , कृषि उपज लाने ले जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता 20 फुट चौडा को अप्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 316 में स्थित है को खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा ट्रेस में भी रास्ता तरमीम किया जाने के आदेश दिये जावें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि उक्त कदीमी रास्ते को अवरूद्व नहीं करें। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर देने हेतु तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:17:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण को प्रशासान गांवो के संग शिविर दिनांक 14.10.20218 को शिविर में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। किन्तु अप्रार्थीगण संख्या में से 4 श्री छोटू पुत्र रामकरण गुर्जर उपस्थित हुआ, अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित है। अप्रार्थीगण को पूर्व में अप्रार्थी स. 1 व 2 को नोटिस स्वयं को तामिल हो चुका है। अप्रार्थी स. 3 से 7 का नोटिस गंगा को दिया गया है किन्तु उपस्थित नहीं हुये है।

तहसीलदार सावर से रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार सावर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भू.अभि.निरी. घटियाली , पटवारी हल्का घटियाली से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रेषित की है। रिपोर्ट में मुख्य रास्ता से खसरा नम्बर 315–316 के मध्य मेड से होकर जा रहे है । प्रार्थी के खेत से उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 315 व 316 की उत्तरी मेड से जाना वाला कटानी रास्ता ही निकटतम कटानी रास्ता है। खसरा नम्बर 315 के खातेदार द्वारा रास्ता बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीको रास्ता दिया जाना आवश्यक है, वरवक्त निरीक्षण प्रतिवादी मंजू देवी पत्नि नारायण जाति गुर्जर ने असहमति दर्ज करवायी । खसरा नम्बर 315 के लगवा खसरा नम्बर 316 के खातेदार छोटू पुत्र रामकरण जाति गुर्जर हि.1/6 ने सहमति दी है कि मै अपने खसरे में से रास्ता दे दुंगा।

प्रार्थी के खेत से खसरा नम्बर 339 पर पहुँच के लिये खसरा नम्बर 316 में रास्ता प्रस्तावित है। खसरा नम्बर 316 रास्ते की लम्बाई 80मी.चौडाई 4 मीटर बराबर 120 वर्गमीटर वर्तमान डी.एल.सी.दर 2,31,304 रूपये प्रति है. की दर से दुगनी राशि 7401 की दुगनी राशि 14802/–रूपये भूमि रास्ते के रूप में तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तावित की गई है। पक्षकारों में आपसी सहमति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के खेत के खसर नम्बर 339 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 316 रास्ते की लम्बाई 80मी.चौडाई 4 मीटर बराबर 120 वर्गमीटर राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें, वर्तमान डी.एलसी.दर की दुगनी राशि प्रार्थी से प्राप्त कर ख.न. 316 के खातेदारो को भुगतान करने की कार्यवाही तहसीलदार सावर द्वारा की जावें ।तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल घटियाली में सुनाया गया।

(विकास पंचोली) 14/10/2021
उपखण्ड अधिकारी
एंव शिविर प्रभारी केकड़ी.
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:17:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner